माननीय न्यायमूर्ति ए. पी. चौधरी और एन. के. कपूर, जे.जे. के समक्ष

हरियाणा राज्य - अपीलकर्ता

बनाम

नरेश कुमार एवं अन्य - प्रतिवादी

Criminal Appeal No. 16-DBA of 1984.

23 जुलाई 1991.

भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 306 - पत्नी द्वारा आत्महत्या करना - उकसाहट - पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग करना - पत्नी द्वारा मांग पूरी करने में असफल होना - पति और सास द्वारा लगातार उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और ताना देना - परिस्थितिजन्य, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पत्नी के प्रति ससुराल वालों की उदासीनता का समर्थन करने वाले - आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि पति और सास द्वारा दी जाने वाली लगातार यातना से मृत पत्नी का जीवन असहनीय हो गया था। अभियुक्त का सुझाव कि दुर्घटनावश आग तब लगी जब मृतक की पत्नी लोहे से बनी पारंपरिक अंगीठी पर खाना बना रही थी, यह बेहद असंभव है क्योंकि आकस्मिक आग लगने से इतना व्यापक रूप से जलना नहीं हो सकता है और पारंपरिक लोहे की अंगीठी से दो घंटे से कम समय के भीतर घातक साबित नहीं हो सकती है। इसके अलावा, निरंतर उत्पीड़न के इतिहास के कारण आकस्मिक आग को और भी असंभव बना दिया गया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतिका के पति और सास द्वारा दुर्व्यवहार और ताना मारा जाता था। पति और सास के हाथों उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के संबंध में मौखिक साक्ष्य उन पत्रों से काफी हद तक पुष्ट होते हैं जो इस मामले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मृतक द्वारा लिखे गए पत्रों में उल्लिखित बुरे व्यवहार से स्पष्ट है कि यह लगातार और लंबे समय तक चलता रहा। इसलिए, हमारी राय है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित तथ्य स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है।

(पैरा 10, 11, 12, 21, 23)

श्री गोरेख नाथ, अपर सत्र न्यायाधीश कुरूक्षेत्र न्यायालय, के अभियुक्तों को बरी करने वाले आदेश दिनांक 6 अगस्त, 1983 के विरूद्ध अपील।

आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप।

आदेश: बरी करना।

सेशन केस नंबर 3/2 सन 1983.

1983 का सत्र परीक्षण संख्या 2.

एफआईआर नंबर 135, दिनांक 10 जुलाई 1981, धारा 306 आईपीसी, पुलिस स्टेशन शाहाबाद।

अपील के आधारों में यह प्रार्थना की गई है कि अपील स्वीकार की जाए, आरोपी- प्रतिवादियों की दोषमुक्ति खारिज कर दी जाए और उन्हें दोषी ठहराया जाए और कानून के अनुसार सजा दी जाए और आगे प्रार्थना की गई कि कृपया सी.आर.पी.सी. की धारा 390 के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएं।

अपीलकर्ताओं की ओर से आर.के. गुप्ता, एएजी, हरियाणा।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. सी. सिब्बल और सुश्री करेन रंधावा, अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति ए. पी. चौधरी, जे.

यह निर्णय 1984 की आपराधिक अपील संख्या 76 डीबीए (हरियाणा राज्य बनाम नरेश कुमार और अन्य) और 1984 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 447 (राजिंदर प्रसाद गुप्ता बनाम नरेश कुमार और अन्य) दोनों का निपटारा करेगा जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र के 6 अगस्त, 1983 के फैसले के खिलाफ निर्देशित थे जिसके तहत नरेश कुमार (27), उनके भाई बृज कुमार (25) और उनकी मां श्रीमती भगवंती (45) भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अपराध मे बरी कर दिया।

(2) अभियोजन के अनुसार घटना से करीब सात साल पहले मृतिका श्रीमती कृष्णा की शादी आरोपी नरेश कुमार से हुई थी। शादी से उनकी लगभग 6 साल की एक बेटी पूनम थी। 8 जुलाई 1981 को शाम करीब 7.30 बजे, श्रीमती कृष्णा का शरीर काफी जल गया। उस समय घर में उनकी सास श्रीमती भगवंती, उसकी जेठानी कुसम लता, उसके पति के बड़े भाई मोहन लाल की पत्नी थीं। भागवंती ने कृष्णा को साइकिल रिक्शा से डॉ. ओ.पी.महेंद्रू के स्थानीय निजी नर्सिंग होम में छोड़ दिया। डॉक्टर ने घायलों को पीजीआई मेडिकल इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ ले जाने की सलाह दी। शाहबाद में किराने की दुकान चलाने वाले कृष्णा के पति को एक पड़ोसी ने घटना की जानकारी दी। वह डॉ. महेंद्रू के नर्सिंग होम पहुंचे। वह एक वाहन की व्यवस्था करने गया और जब वह नर्सिंग होम लौटा, तो कृष्णा ने रात

8.50 बजे दम तोड़ दिया था। उनका पार्थिव शरीर वापस घर लाया गया। डॉ. महेंद्रू ने पुलिस को रुका भेजा। एएसआई राज कुमार PW 14 आरोपी नरेश कुमार के घर गया। उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की व्यवस्था की। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर एएसआई राजकुमार को शव से कुछ दूरी पर अंगीठी पड़ी मिली। उस समय अंगीठी में कोई आग नहीं थी। उन्हें मृतक का आंशिक रूप से जला हुआ ब्लाउज और साड़ी भी मिली जो वहीं पड़ी हुई थी। उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसे एक सीलबंद पार्सल बना दिया।

(3) मृतक के रिश्तेदारों, अर्थात् उसके भाई सत प्रकाश और राजिंदर पार्षद और बहनोई मेहर चंद को श्रीमती कृष्णा की मृत्यु बाबत का बेईमानी संदेह था। राजिंदर पार्षद ने 9 जुलाई, 1981 को शाहबाद पुलिस स्टेशन के SHO को एक आवेदन Exhibit PE दिया। देर रात तक पुलिस कोई कार्रवाई करने में विफल रही, राजिंदर पार्षद ने 10 जुलाई , 1981 को पुलिस अधीक्षक, कुरूक्षेत्र को एक और आवेदन Exhibit PF दिया। पुलिस अधीक्षक ने आवेदन पुलिस उपाधीक्षक को भेजा, जिन्होंने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश के साथ शाहबाद पुलिस स्टेशन के SHO को भेज दिया। एप्लिकेशन Exhibit PF, जो पहली सूचना रिपोर्ट का आधार है, में राजिंदर पार्षद PW 3 द्वारा कहा गया था कि शादी के लगभग एक साल बाद नरेश कुमार, उसकी मां और भाई ने कृष्णा को अधिक से अधिक दहेज लाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। कृष्णा के माता- पिता अपनी बेटी को समय- समय पर कुछ न कुछ देते रहे लेकिन पति और पति के उपरोक्त संबंधों द्वारा दबाव जारी रखा गया। श्रीमती कृष्णा ने अपने पिता, भाई और बहन को कई पत्र लिखे। राजिंदर पार्षद ने आवेदन के साथ उन तीन पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियां संलग्न कीं। घटना से कुछ समय पहले नरेश कुमार और उसकी मां ने नरेश कुमार को एक स्कूटर देने की मांग की थी। उसी सिलसिले में उनकी बहन उनके पास दिल्ली आईं, जहां वह करोड़ीमल कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत है। हालाँकि, कृष्णा को जून 1981 के पहले सप्ताह में राजिंदर पार्षद, तारा सिंह, राम पाल, उनके बहनोई मेहर चंद और उनके पिता बेनी पार्षद द्वारा उनके पति के घर वापस ले जाया गया। उन्होंने एक वादा किया कि वे शीघ्र ही नरेश कुमार को एक स्कूटर प्रदान करेंगे। बदले में नरेश कुमार व उसकी मां आदि ने कृष्णा के साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया। हालाँकि, मृतक के माता- पिता नरेश कुमार को स्कूटर देने में असमर्थ थे और कृष्ण का अपने पति, सास- ससुर आदि के हाथों उत्पीड़न जारी रहा। 8 जून 1981 को राजिंदर पार्षद को पता चला कि उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। वह कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ शाहबाद गया जब उसने पुलिस को उपरोक्त आवेदन दिया।

(4) मुकदमे में, अभियोजन, श्रीमती कृष्ण के शव पोस्टमार्टम करने वाले 1 डॉ. एस. डी. अरोड़ा की जांच की। उन्होंने पाया कि धड़, ऊपरी और निचले अंग और पीठ पर प्रभावित हिस्से में लालिमा और जगह- जगह फफोले पड़ गए। वे ऊपरी अंगों पर अधिक प्रमुख थे। चेहरा बच गया था।

कुछ जगहों पर चमड़ी उधड़ रही थी। डॉ. अरोड़ा ने मृत्यु का कारण व्यापक रूप से जलना बताया, जो मृत्यु- पूर्व था और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। डॉ. ओ. पी. महिंदरू (PW -2) जिनके निजी नर्सिंग होम में गंभीर रूप से जले हुए घायल को ले जाया गया था और जहां घायल की मृत्यु हुई, उसकी भी जांच की गई। अभियोजन पक्ष ने मृतक के भाई राजिंदर पार्षद (PW -3), मृतक के बहनोई मेहर चंद PW -4, मृतक के पिता बेनी पार्षद PW -5 और एक अन्य भाई सत प्रकाश PW -10 से भी पूछताछ की। डाक रद्दीकरण टिकटों की पहचान करने के लिए अभियोजन पक्ष ने डाकघर शाहबाद के विभिन्न अधिकारियों को भी पेश किया, जहां से मृतक के पैतृक गांव किरमिच और पेहोवा में पत्र पोस्ट किए गए थे, जहां पत्र Exhibit PI वितरित किया गया था और मलकागंज डाकघर दिल्ली जहां पत्र Exhibit PJ प्राप्त किया गया था। जिन पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच की या जांच में भाग लिया, उनसे भी पूछताछ की गई।

(5) अभियुक्त की दलील इनकार की थी। आरोपी भागवंती ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा कि उसके दो बड़े बेटे, भूषण कुमार और मोहन लाल, क्रमशः मोहाली और नंगल में कार्यरत थे और अपने परिवारों के साथ वहां रह रहे थे। बृज कुमार की शादी 1980 में हुई थी। उनकी पत्नी फतेहाबाद में कार्यरत थीं और शाहबाद में उनके साथ रहने वाली एकमात्र बहू की मृत्यु हो गई थी। घर का कामकाज मृतिका को ही करना पड़ता था और यह बात उसे नागवार गुजरती थी। वह चाहती थी कि उसका पति उससे और उसके छोटे भाई बृज कुमार से अलग रहे। यह बात उसके बेटे नरेश कुमार को मंजूर नहीं थी। घटना के दिन, लगभग सूर्यास्त के समय, वह अपनी दूसरी बहू कुसम लता, मोहन लाल की पत्नी के साथ घर की छत पर मौजूद थी। मृतक शाम का खाना बना रहा थी। उसे गलती से अंगीठी से आग लग गई और उसने शोर मचा दिया। वो और कुसम लता नीचे आये। वहां एक पड़ोसी कौशल कुमार भी आ गया। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। कुसम लता को कैंची की मदद से कृष्णा का ब्लाउज काटना पड़ा। आस- पड़ोस के बहुत से लोग वहां एकत्र हो गये। कृष्णा को डॉ. महेंद्रू के नर्सिंग होम ले जाया गया लेकिन इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के समय नरेश कुमार और बृज कुमार मौजूद नहीं थे। उपरोक्त दलील को बाकी दो आरोपियों द्वारा लिया गया है। आरोपियों ने सुरिंदर कुमार DW -1 से पूछताछ की, जिन्होंने डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल, शाहबाद में बृज कुमार को नौकरी दिलाने के बारे में गवाही दी। कौशल कुमार (DW-2) आरोपी का पड़ोसी है। उन्होंने भागवंती के बयान का समर्थन किया। जिरह में उन्होंने कहा कि भगवंती के हाथ की हथेली में कुछ चोटें आई हैं। हालाँकि, मृतक की जेठारी कुसम लता को ऐसी कोई जलन नहीं हुई।

(6) सबूतों पर विचार करने पर, विचारण न्यायलय ने माना कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई "मजबूत, ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं था कि कृष्णा ने वास्तव में आत्महत्या की थी"। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था कि आरोपी ने वास्तव में कृष्णा को आत्महत्या के लिए उकसाया था। उन्होंने मृतक के विभिन्न रिश्तेदारों के बयानों को स्वीकार नहीं किया। विचारण न्यालाय ने अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए चार पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसे विस्तार से दोहराया। यह देखा गया कि अभियुक्त के वकील ने इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया कि पत्र Exhibit PG, PH और PI मृतक कृष्णा द्वारा लिखे गए थे। यह निष्कर्ष दर्ज करना आवश्यक नहीं समझा गया कि क्या अंतिम पत्र Exhibit PJ मृतक कृष्णा के हाथ में लिखा था, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था, या यह जाली और मनगढ़ंत था, जैसा कि आरोपी ने आरोप लगाया था। विहचारण न्यायलय के अनुसार, उक्त तीन पत्रों में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों से केवल यह पता चलता है कि कृष्णा का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था और वह अपने ससुराल में सहज महसूस नहीं कर रही थी। विचारण न्यायलय के अनुसार, इन पत्रों का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी दहेज के सवाल पर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ था और उन्हें तदनुसार बरी कर दिया गया था। इसलिए, यह अपील और पुनरीक्षण।

(7) अभियुक्तों के विद्वान वकील श्री एस. सी. सिब्बल द्वारा उठाए गए तर्क यह हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक साक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं। इसमें हितबद्ध गवाहों की गवाही शामिल है। पत्र Exhibit PJ मनगढ़ंत प्रतीत होता है। किसी भी मामले में इसकी प्रामाणिकता गंभीर संदेह के घेरे में है क्योंकि इसे बिना किसी देरी के जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया। आगे यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष ने पत्रों पर भरोसा किया। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा मामला नहीं बनता। यह भी तर्क दिया गया कि आग बुझाने की कोशिश करने और घायलों को नर्सिंग होम ले जाने में श्रीमती भागवंती का आचरण और घायलों को पीजीआई, चंडीगढ़ ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने में पति के आचरण ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि यह दुर्घटना का मामला था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायलय ने सबूतों का उचित मूल्यांकन करने के बाद एक दृष्टिकोण लिया था और स्थापित कानून के अनुसार इस न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा पहुंचे निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(8) श्री सिब्बल ने इस प्रस्ताव के लिए इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित तथ्य भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अर्थ में आत्महत्या के लिए उकसाने से नहीं जुड़ते हैं। इस संबंध में सबसे पहले संदर्भ राज कुमार बनाम पंजाब राज्य (1) में दिया गया था। प्रासंगिक तथ्य यह थे कि यदि पति ने पत्नी के साथ रहने के लिए घर आना फिर से शुरू नहीं किया तो पत्नी ने आत्महत्या करने की धमकी दी। पति ने जवाब दिया कि पत्नी अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। पत्नी घर वापस गई और मिट्टी के तेल की एक बाल्टी लेकर लौटी और फिर पति से कहा कि अगर वह उसके पास लौटने का अनुरोध नहीं मानेगा, तो वह खुद को जला लेगी। आरोपी ने उससे कहा कि वह अपनी योजना के साथ आगे बढ़े और इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तभी पत्नी ने दुकान के सामने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। पति ने आग बुझाकर या चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाकर उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में 'उकसाने' की परिभाषा का उल्लेख किया। इसका खण्ड तीसरा इस प्रकार है:-

"जानबूझकर, किसी कार्य या अवैध चूक द्वारा, उस चीज़ को करने में सहायता करता है।"

यह अवधारित किया गया कि चूक केवल तभी अवैध होगी यदि जो किया जाना छोड़ा गया है वह कानून के तहत ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना आवश्यक हो। यह बताया गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत किसी व्यक्ति, चाहे वह अजनबी हो या करीबी रिश्तेदार, को किसी अजनबी या करीबी रिश्तेदार को अपराध करने से रोकने की आवश्यकता होती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृतक को आत्महत्या करने से रोकने में पति की विफलता आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के बाद के निर्णयों पर भरोसा किया जिसमें राज कुमार के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया गया था। ये हैं:

(1) सुरिंदर कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2)।

(1) 1983 (1) Recent C.R. 553
(2) 1984 (1) Recent C.R. 593

(2)जगदीश चंदर बनाम हरियाणा राज्य (3)।

(3) पंजाब राज्य बनाम राज कुमार और अन्य (4)।

(9) अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, कभी भी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

(10) विद्वान वकील द्वारा जिन प्राधिकारियों पर भरोसा किया गया है वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। यह ऐसा मामला नहीं था जहां पत्नी ने आत्महत्या करने की धमकी दी हो और अभियोजन पक्ष इस आधार पर आरोपी को दोषी ठहराने की मांग कर रहा हो कि आरोपी मृतक द्वारा आत्महत्या को रोकने में विफल रहा। दूसरी ओर, वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि पति और सास द्वारा दी जाने वाली लगातार यातना से मृतिका का जीवन असहनीय हो गया था। वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस बात पर कोई सवाल नहीं है कि मृतक ने किसी भी स्तर पर आत्महत्या करने के इरादे की घोषणा की है, इसलिए, विद्वान वकील ने जिन अधिकारियों पर भरोसा किया, वे आरोपी की कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। राज कुमार के मामले के बारे में हमें थोड़ी देर बाद और कुछ कहना होगा।

(11) वज़ीर चंद और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य (5) में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 को पढ़ने से पता चलता है कि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सके, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि ऐसे अन्य व्यक्ति ने आत्महत्या की है। यह आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभियुक्त द्वारा सकारात्मक दलील यह दी गई है कि मृतक कृष्णा खाना बनाते समय एक दुर्घटना के कारण जल गई थी। भले ही राजिंदर पार्षद द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया हो, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्तर पर यह दबाव नहीं डाला गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप तय किया जाए। हमारे समक्ष ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई, इसलिए, इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह घटना किसी दुर्घटना के कारण हुई थी या यह आत्महत्या थी। इस संबंध में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह दबाव केरोसिन स्टोव के उपयोग का मामला नहीं है। अभियुक्त का सुझाव यह है कि दुर्घटनावश आग तब लगी जब मृतक कृष्णा लोहे से बनी पारंपरिक अंगीठी पर खाना बना

(3) 1988 (2) Recent C.R. 225.

(4) 1990 (3) Recent C.R. 107

(5) 1989 (1) S.C.C. 244.

रही थी। हम पारंपरिक लोहे की अंगीठी से दो घंटे से भी कम समय के भीतर आकस्मिक आग लगने और इतने बड़े पैमाने पर जलने और घातक साबित होने को अत्यधिक असंभव मानते हैं। गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह और अन्य (6) में, सुप्रीम कोर्ट के माननीय नायमूर्तियों ने यह तय करने में विचारण न्यायलय द्वारा अपनाए गए तर्क को मंजूरी दे दी कि मामला दुर्घटना या आत्महत्या के कारण था। विचारण न्यायलय ने कहा कि यदि यह दुर्घटनावश आग लगने का मामला था, तो पीड़ित के पास मौजूद रिश्तेदारों ने आग बुझाने की कोशिश की होगी और इस प्रक्रिया में उनकी उंगलियों पर कुछ जलन हुई होगी। ये टिप्पणियाँ पूरी तरह से हाथ में आए मामले पर लागू होती हैं। श्रीमती भगवंती की दलील थी कि उसकी दूसरी बहू, मोहन लाल की पत्नी, श्रीमती कुसम लता की उंगलियों पर कोई चोट नहीं आई, वह (भगवंती) मृतक के कपड़ों में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते समय अपनी उंगलियों पर कुछ जल गई। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि कुसम लता ने कैंची की मदद से मृतक द्वारा पहने गए ब्लाउज को काट दिया था। इस प्रकार, आरोपी के अनुसार, कुसम लता के हाथों पर जलने की चोट नहीं आई और श्रीमती भगवंती के कहने के अलावा यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि उसकी उंगलियों पर सचमुच जलने की चोटें आई थीं। इसके अलावा, आकस्मिक आग का होना और असंभव है क्योंकि मृतिका के पति और सास द्वारा लगातार उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और ताने देने के इतिहास ने मृतिका के जीवन को असहनीय बना दिया था। ऐसी पृष्ठभूमि के अभाव में कोई भी व्यक्ति दुर्घटना के सिद्धांत को अधिक आसानी से विश्वसनीयता प्रदान कर सकेगा। इसलिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि अभियोजन ने बिना किसी संदेह के यह स्थापित कर दिया है कि यह आत्महत्या से मौत का मामला था।

(12) अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए गए अन्य भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने की ओर मुड़ते हैं। हम पहले मौखिक साक्ष्य से निपट सकते हैं। अभियोजन पक्ष ने मृतक के दो भाइयों, बहनोई और पिता से पूछताछ की। वे एक हैं राजिंदर पार्षद PW-3 और सत प्रकाश पीडब्लू-10, दोनों भाई, मेहर चंद PW-4, बहनोई और बेनी पार्षद PW-5, मृतक के पिता। इन गवाहों के मुताबिक, शादी के करीब एक साल बाद कृष्णा का उत्पीड़न शुरू हो गया। उत्पीड़न का उद्देश्य कृष्णा को अधिक से अधिक दहेज लाने के लिए मजबूर करना था। कृष्णा जब भी अपने उक्त रिश्तेदारों से मिलती थी तो इस बात की शिकायत करती थी। 1979 में किसी समय कृष्णा के पति और सास ने स्कूटर की मांग सामने रखी। कृष्णा का मायका पक्ष इस मांग को पूरा करने में असमर्थ था। कृष्णा को घर से बाहर कर दिया गया। वह अपने भाई राजिंदर पार्षद PW-3 के पास गई, जो दिल्ली के करोड़ी मल कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। राजिंदर पार्षद ने वही किया जो ज्यादातर भाई करेंगे।

(6) J.T. 1989 (4) S.C. 38.

वह कृष्णा को कुछ अन्य सम्मानित और रिश्तेदारों, अर्थात् तारा चंद, राम पाल, उनके बहनोई मेहर चंद और पिता बेनी पार्षद के साथ शाहबाद में कृष्णा के ससुराल में वापस ले आए और कृष्णा के लिए शांति खरीदने के लिए, वे नरेश कुमार को स्कूटर देने के लिए राजी हो गए। पति और सास के हाथों उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के संबंध में मौखिक साक्ष्य उन पत्रों से काफी हद तक पुष्ट होते हैं जो इस मामले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। रिकॉर्ड पर मौखिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि कृष्णा को दहेज के सवाल पर और समय- समय पर की गई विभिन्न मांगों को पूरा करने में विफलता पर परेशान किया गया था।

(13) यह हमें पत्रों के संबंध में अगले प्रश्न पर लाता है। अभियोजन पक्ष ने चार पत्रों पर भरोसा किया है।

(14) कालानुक्रमिक रूप से, ये Exhibits PH दिनांक 3 मई 1980, PI दिनांक 26 जुलाई 1980, PG दिनांक 14 जून 1981 और PJ हैं, जिस पर लेखन की तारीख अंकित नहीं है लेकिन जो मलकागंज डाकघर, दिल्ली में कृष्णा की मृत्यु के तीसरे दिन 11 जुलाई, 1981 को प्राप्त हुए थे और इसे किरमिच गांव के उनके रिश्तेदारों द्वारा राजिंदर पार्षद को भेजा गया था और यह उन्हें 13 जुलाई, 1981 को प्राप्त हुआ था। पत्र Exhibits PG और PH पिता को संबोधित हैं और पेहोवा में मेहर चंद PW-4 की पत्नी, बहन रुक्मणि को Exhibit PI संबोधित है। Exhibit PJ उनके भाई राजिंदर पार्षद को संबोधित है। पत्र Exhibit PH को छोड़कर, जो एक पोस्टकार्ड पर है, शेष तीन पत्र अंतर्देशीय पत्रों पर हैं, जिन पर उचित डाक रद्दीकरण टिकट लगे हुए हैं और वे मृतक कृष्णा की हस्तलिपि में हैं। इन सभी पत्रों पर कृष्णा की लिखावट की पहचान मृतक के भाई राजिंदर प्रसाद PW-3 और सत प्रकाश PW-10 ने की है, जो उसकी लिखावट देखते रहे थे और उसकी लिखावट और हस्ताक्षर से परिचित थे। मृतक के बहनोई मेहर चंद PW-4 ने पत्र Exhibit PI की पहचान मृतक की लिखावट में की। यह पत्र मृतक ने अपनी बहन को संबोधित किया था, जो मेहर चंद PW-4 की पत्नी है। मृतक के पिता बेनी पार्षद PW -5 ने उन्हें प्राप्त पत्र Exhibits PH और PG पर मृतक की लिखावट की पहचान की।

(15) अभियोजन पक्ष ने पोस्ट ऑफिस शाहबाद के पैकर सुखर सिंह PW-6 से पूछताछ की और उन्होंने गवाही दी कि चार पत्र Exhibits PG, PH, PI और PJ पर डाकघर शाहबाद के रद्दीकरण टिकटे थी। तारलोकी नाथ PW-7, शाखा रोस्ट-मास्टर किरमिच, ने पत्रों Exhibits PH and PG पर डाक रद्दीकरण चिह्नों की पहचान की। गौरतलब है कि जिरह में उनके बयान को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई। जय भगवान PW-8, पैकर पोस्ट-ऑफिस पेहोवा ने पत्र Exhibit PI पर रद्दीकरण चिह्न की पहचान की। उनसे जिरह भी नहीं की गई। राजिंदर प्रसाद ने 10 जुलाई, 1981 को पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन के साथ तीन पत्रों Exhibits PG, PH and PI की फोटोस्टेट प्रतियां पेश कीं। मूल पत्रों को

सत प्रकाश PW-10 ने एसआई साधु राम के समक्ष 11 जुलाई, 1981 को सुबह 4 बजे प्रस्तुत किए। हालांकि विभिन्न संबंधों से कई पत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन यह रोजमर्रा का अनुभव है कि आमतौर पर लोग प्रियजनों से प्राप्त पत्रों को संभाल कर नहीं रखते हैं। हालाँकि, ये पत्र खो जाने या नष्ट होने से बच गए और उपयोगी थे और बिना किसी अनुचित देरी के तैयार किए गए थे। विचारण न्यालाय ने फैसले में कहा था कि आरोपी के वकील ने Exhibits PG, PH और PI पत्रों की वास्तविकता को चुनौती नहीं दी, हालांकि उन्होंने अंतिम पत्र Exhibit PJ को मनगढ़ंत के रूप में चुनौती दी। पत्र Exhibit PJ की एक फोटोस्टेट कॉपी राजिंदर पार्षद ने पुलिस को डाक से भेजी थी। थी। पुलिस स्टेशन के एमएचसी ने उक्त प्रति एचसी बीर सिंह PW-11 को सौंप दी, जिन्होंने आंशिक रूप से मामले की जांच की और 23 जुलाई 1981 को जांच जब्त कर ली। एचसी बीर सिंह फिर दिल्ली चले गए और मूल पत्र Exhibit PJ को 26 जुलाई, 1981 को राजिंदर पार्षद से अपने कब्जे में ले लिया जब उन्होंने पोस्ट ऑफिस मल्कागंज, दिल्ली के डीलिंग कर्मचारी कृष्ण लाल गखर PW-13 का बयान भी दर्ज किया था। ये पत्र उचित अभिरक्षा से तैयार किये गये हैं। वे मृतक की लिखावट में हैं। जबकि अभियुक्तों की ओर से तीन पत्रों की वास्तविकता को चुनौती नहीं दी गई थी, हमारा स्पष्ट मानना है कि चौथा पत्र Exhibit PJ भी मृतक द्वारा अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले लिखा गया था और इसे शाहबाद से मेल किया गया था और मलकागंज में विधिवत प्राप्त किया गया था। दिल्ली में डाकघर और बाद में भरोसेमंदों के समक्ष प्रस्तुत किया गया हमें प्रामाणिकता के संबंध में कोई संदेह नहीं है।

(16) विचारण न्यालाय ने इन पत्रों का अनुवाद किया है और अपने फैसले में इन्हें व्यापक रूप से दोबारा प्रस्तुत किया है। हम प्रत्येक अक्षर को संपूर्ण रूप से पुन: प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव नहीं रखते। वे पंक्तियाँ जिन्हें हम प्रासंगिक मानते हैं स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगी। इन अंशों को निकालने में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि कुछ भी ऐसा न छूटे जो समग्र रूप से पत्र को पढ़ने जैसा लगे।

(17) 3 मई 1980 के पत्र का प्रासंगिक भाग, पिता को संबोधित एक्ज़िबिट पिल, जहां तक सामग्री की बात है, इस प्रकार है-

"...मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है (संदर्भ स्पष्ट रूप से उस व्यवहार के बारे में था जो उसे ससुराल में मिल रहा था) और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत असहाय हूं (मजबूर)। जब भाई यहां आएगा, तो मैं उसे बताऊंगी कि मुझे कैसे बनाया जा रहा है। इसके बारे में या तो मैं जानता हूं या भगवान जानता है। मुझे खुशी नहीं हो रही है (यहां दिल नहीं लगता कहां जाऊं)।

मेरी किस्मत ऐसी ही है।

(18) अगला पत्र एक्ज़िबिट पीआई दिनांक 26 जुलाई 1980, उसकी बहन को संबोधित, जहां तक सामग्री की बात है, इस प्रकार है:

"…. ……. ……. ……. ……. ….

मेरे ससुराल वालों ने एक पत्र भेजा है कि मुझे ले जाया जाए और मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है और घर में कोई भी मुझसे बात नहीं करता है और अपनी माँ के कहने पूनम के पिता ने पिछले कई दिनों से मुझसे बात नहीं की है। मेरी सास मुझसे कहती है कि अगर मैं किसी से बात करूंगी या उनके घर की कोई चीज खाऊंगी तो यह मेरे भाइयों का खून चूसने जैसा होगा और यह मेरे भाइयों का खून चूसने जैसा होगा। अगर मैं उनके सामने कुछ बोलती हूँ तो मेरी पिटाई की जाती है और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। मैं खुद को जलाकर मार डालूंगी क्योंकि मैं उनके ताने नहीं सह सकती। मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है और पूनम की ताई (पति के बड़े भाई की पत्नी) मेरी हत्या करवाने पर तुली हुई है और मुझे इसकी पूरी आशंका है। ये सब मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर अंततः कुछ हो तो ये सब बताया जा सके। घर में कोई चीज़ खो जाए तो दोष मुझ पर मढ़ दिया जाता है, इस बात के बावजूद कि जो चीज़ खोई है वह अंततः मिल भी सकती है। पूनम की ताई के टॉप्स खो गए थे और इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया था, बावजूद इसके कि दो दिन बाद वे टॉप्स नाली में पड़े मिले थे। पूनम की ताई मेरी पिटाई करवाने के लिए तैयार हो गयी थी। वह कभी मेरी हत्या करवा देगी। मैं यह पत्र इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। कांता की भाभी आई थीं और उन्होंने बोला कि मुझे क्यों लाया गया है और मुझे किरमिच गांव में छोड़ दिया जाए क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा होता है। मैं अपना समय गुजार रही हूं। अगर घर में काम करूंगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो घर में खाना भी नहीं मिलेगा। यह सब पूनम के पिता के कहने पर किया जा रहा है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह मुझे मारेंगे और मैं अपने समर्थकों को बुला सकती हूं। मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे पवन (मृतक की बहन के पति) के पास जाना चाहिए जो मुझे रखेगा और मुझे चले जाना चाहिए ताकि वे मेरा चेहरा न देखें। फिर मैं भी जवाब देती हूं। कांता भाभी ने तुम्हारी दोनों बहनों के बारे में बहुत सी बातें कही थीं। ये सब मुझे सुनना पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूँ। शायद कभी- कभी मुझे कुछ ख़ुशी मिल जाये।"

(19) 14 जून 1981 के पत्र Exhibit PG का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

".... ....
मुझे यहाँ ख़ुशी महसूस नहीं हो रही है। तुम मुझे 10/15 दिन के लिए अपने घर बुला लेना क्योंकि पूनम का स्कूल छुट्टियों के कारण बंद हो गया है ..... मैं आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। मुझे अधिक नहीं तो एक या दो दिन के लिए किरमिच बुलाया जा सकता है, क्योंकि मुझे ताना दिया जाता है कि मैं इतने पत्र लिखती हूं लेकिन मेरे किसी भी पत्र का उत्तर नहीं मिलता है। मेरे ससुराल में मुझे छोड़कर सभी एक- दूसरे की बात सुनते हैं। कहा जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की बात सुनते हैं। मैं इस घर में पागलों की तरह रह रही हूं.... मेरी कोई नहीं सुनता। मेरी सास मुझे दिन भर ताने मारती रहती है.... मैं यहां सहज महसूस नहीं कर रही हूं। तुम्हें मुझसे मिलने और मिलने के लिए मुझे अवश्य बुलाना। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगी और तुम्हारे किराये के बारे में भी जानूंगी..."

(20) अंतिम पत्र Exhibit PJ के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं-

"संतोष (नरेश कुमार के बड़े भाई भूषण कुमार की पत्नी) ने कहा कि नरेश के 50 पैसे निकाल लिए गए हैं। मेरी सास ने कहा कि मैंने अपने भाइयों और भतीजों का खून चूसा है। संतोष के कहने पर परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे जहर दे दिया है और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे अभी देख लो और बाद में तुम नहीं देख पाओगे. बिजली मीटर बंद कर घर में बिजली का उपभोग किया जा रहा है। कृष्णा आप सभी से विदा हो रही है।"

(21) जिन परिस्थितियों में ये पत्र लिखे गए वे स्वयं ही अपनी कहानी बयान करते हैं। वे यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि कृष्णा अपने ससुराल में अपने पति, सास और अन्य रिश्तेदारों के साथ कितनी अपमानजनक स्थिति में थी। पत्रों में उल्लिखित ख़राब व्यवहार से साफ़ पता चलता है कि यह लगातार और लंबे समय तक चलता रहा। मृतिका का पति न केवल उदासीन था, बल्कि समय- समय पर उसकी पिटाई भी करता था। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और खाना भी नहीं दिया गया। उसे लगातार ताने दिए जाते थे। उपरोक्त संबंधों के कारण मृतक को अपने जीवन में सबसे बुरा डर सता रहा था। उस पर घर में खोई या गुम हुई किसी भी चीज़ की चोरी का आरोप लगाया गया था। इनमें 50 पैसे की छोटी रकम भी शामिल थी। उपरोक्त परिस्थितियों ने उसे लगभग पागल कर दिया था। एक तरफ उससे काम करवाया जाता था और दूसरी तरफ परिवार में कोई उससे बात नहीं करता था. अपनी व्यथा- कथा लिखते समय कृष्णा ने कई बातें अनकही रखीं, जिन्हें वह व्यक्तिगत मुलाकात में प्रकट करने की आशा रखती थी। पत्र एक्ज़िबिट पीजे में उल्लिखित उनके पति के 50 पैसे की चोरी का आरोप और उनकी सास का ताना कि ऐसा करके कृष्णा ने उनके भाइयों और भतीजों का खून चूसा

है, कहावत आखिरी तिनका साबित हुई है और पत्र एक्ज़िबिट पीजे का भाव ऐसा दिखता है मानो यह एक सुसाइड नोट हो।

(22) इस तथ्य के अलावा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पत्रों द्वारा उपरोक्त तथ्यों को स्थापित नहीं किया गया था, विचारण न्यालाय का विचार था कि ये तथ्य आत्महत्या के लिए उकसाने का गठन नहीं करते हैं। इस निष्कर्ष के समर्थन में, विचारण न्यालाय ने मुख्य भरोसा प्रेम चंद बनाम पंजाब राज्य (7) पर रखा। यह तुरंत बताया जा सकता है कि प्रेम चंद के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले को बृज लाल बनाम प्रेम चंद और अन्य (8), और पंजाब राज्य बनाम प्रेम चंद (9) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया है। महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि को शीर्षक- टिप्पणी में इन शब्दों में उपयुक्त रूप से संक्षेपित किया गया है: -

"आत्महत्या के लिए उकसाना- पति मृत पत्नी से पैसे मांगता था- आरोपी उससे पैसे के भुगतान को लेकर आए दिन झगड़ा करता था - मृतिका ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वह इस दुनिया में जीवन के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता देती है - आरोपी ने आगे कहा कि वह उसी दिन मरकर उसे जल्दी राहत दे सकती है, इसके तुरंत बाद मृतिका ने खुद को आग लगा ली, ऐसा कहा जा सकता है आरोपी ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया - उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को बरी करना- अवैध।"

(23) विचारण न्यालाय ने आगे राज कुमार बनाम राज्य (10) पर भरोसा किया। यह इस न्यायालय की एक खंडपीठ का निर्णय था और अन्य बातों के अलावा, सतपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (11) मामले में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसका पालन किया गया था। सतपाल सिंह के मामले (सुप्रा) को सुप्रीम कोर्ट में अपील में ले जाया गया, जिसे फिर से अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गुरबचन सिंह बनाम सतपाल सिंह और अन्य (12) बताया गया है। यह एक ऐसा मामला था जहां मृतिका को उसके ससुराल वालों ने कम दहेज लाने के और उसके एक

(7) 1978 C.L.R. (Crl.) 224.

(8) A.I.R. 1989 S.C. 1661.

(9) A.I.R. 1989 S.C. 1661.

(10) 1983 (1) C.L.R. 660.

(11) Crl. Appeal 434 SB-84, decided on 3rd March, 1986.

(12) J.T. 1989 (4) S.C. 38.

नाजायज बच्चे को जन्म देने का ताना दिया जाता था। इन्हें गंभीर और गंभीर उकसावे वाला माना गया और उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा अभियुक्तों को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट के पैराग्राफ 31 में, यह बताया गया कि इन सभी यातनाओं और तानों ने उसके मन को अवसादग्रस्त कर दिया और उसे अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर और खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने जैसा चरम कदम उठाना पड़ा। गुरबचन सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित कानून के मद्देनजर, हमारी राय है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित तथ्य स्पष्ट रूप से मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत आते हैं।

(24) निस्संदेह, पीड़िता को उसकी सास श्रीमती भागवंती द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। उसका यह आचरण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मृतक की चीख ने पड़ोसियों सहित कई लोगों को आकर्षित किया था और इसलिए, पीड़िता को किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में स्थानांतरित नहीं करना संभव नहीं था। श्रीमती भागवंती के हाथों पर जलने की कोई चोट नहीं है यह दिखाने के लिए बहुत आगे जाती है कि आरोपी का यह सुझाव कि सास और ननद (श्रीमती कुसम लता) ने मृतक को बचाने की कोशिश की थी, केवल खारिज करने के लिए कहा गया है।

(25) हरियाणा के विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया कि जहां तक आरोपी बृज कुमार का सवाल है, कोई सबूत नहीं है।

(26) इसमें कोई संदेह नहीं है, आमतौर पर यह न्यायालय बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन जहां विचारण न्यालाय का निर्णय विकृत और किसी के विवेक को झटका देने वाला पाया जाता है, वहां अपील की अनुमति देने और अन्याय होने से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम वर्तमान अपील को उसी श्रेणी में आते हुए पाते हैं। इन सभी कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र के फैसले को रद्द करते हैं और नरेश कुमार और श्रीमती भगवंती को दोषी ठहराते हैं और उन्हे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत पांच- पांच साल के कठोर कारावास और 5,000 हजार रुपये प्रत्येक अभियुक्त जुर्माने की सजा सुनाते हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। जो आरोपी जमानत पर हैं, उन्हें इस फैसले के एक महीने के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा उन्हें सजा काटने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बृज कुमार के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है।

माननीय न्यायमूर्ति जी.सी.मितल, ए.सी.जे. और एच.एस. बेदी. जे के समक्ष

साधु सिंह हमदर्द ट्रस्ट जालंधर - याचिककर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य - उत्तरदाता

Civil Writ Petition No. 4829 of 1991

30 जुलाई, 1991.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (II of 1974) धारा 95, 96- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 16, 19(1-ए), 10(1- जी), 226- राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को संबोधित निर्देश जारी किए गए - प्रेस की स्वतंत्रता - आक्रामक प्रकाशन - राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को संबोधित दिशा- निर्देश जारी करके आचार संहिता लागू की, ऐसे दिशानिर्देश डी.एम. को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए और धारा 95 के तहत जब्ती और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य नहीं करते हैं - संबंधित अधिकारियों पर विवेकाधिकार छोड़ दिया गया है और इसलिए, यह धारा 95 या संविधान का उल्लंघन नहीं है - हालांकि, धारा 95 के तहत शक्ति असाधारण प्रकृति की होने के कारण- शक्ति का उपयोग सावधानी और सावधानी से किया जाना चाहिए, इसलिए,

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा